न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक विविध 5083–दो/2017 विरूद्व आदेश दिनांक 24–5–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा का प्रकरण 13/पुनर्विलोकन/2010–11

आम जनता ग्राम पंचायत जिरौंहा तहसील जवा,
जिला रीवा म0प्र0 द्वारा सुरेश प्रसाद तिवारी
तनय बैजनाथ तिवारी
निवासी ग्राम जिरौंहा, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. शंभू प्रसाद तनय बैजनाथ तिवारी
निवासी ग्राम जिरौंहा, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0
हाल मुकाम हीरालाल कालोनी के आगे, रवीन्द्र नगर
उर्रहट रीवा म0प्र0
2. लल्लू प्रसाद तिवारी तनय बैजनाथ तिवारी
निवासी ग्राम जिरौंहा, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0
3. हीरामणि तनय बैजनाथ
निवासी ग्राम जिरौंहा, तहसील जवा, जिला रीवा म0प्र0
4. स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा कलेक्टर महोदय रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री अंजनी प्रसाद सोनी, अभिभाषक, आवेदक
श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कं 1 से 3

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 5/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के आदेश दिनांक 24–5–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 4/अ–6–अ/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 29–3–1988 के विरूद्ध कोशल प्रसाद आदि ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जहां पर अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 514/अपील/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 5–10–2001 को आदेश पारित किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 05–10–01 को पुनर्विलोकन में लेने हेतु आम जनता की ओर से श्री सुरेश प्रसाद तिवारी ने आवेदन प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 24–5–2011 को पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु राजस्व मण्डल, म0प्र0 को प्रेषित किया। जिस पर राजस्व मण्डल, म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक विविध 961–तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 6–7–2011 से पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की। राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में रिट पिटशन कमांक 15404–2011 प्रस्तुत की। मान0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 25–1–2017 से राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 06–7–2011 निरस्त कर उभय पक्ष को सुनवाई कर पुनः तीन माह में आदेश पारित करने के निर्देश दिये। मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

3/ मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दोनों पक्षों को सुनवाई की गई।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 4/अ–6–अ/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 29–3–1988 के विरूद्ध कोशल प्रसाद आदि ने म0प्र0 शासन कालिका प्रसाद आदि के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जहां पर अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 514/अपील/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 5–10–2001 को अंतिम आदेश पारित किया। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध दोनों पक्षों की ओर से वरिष्ठ न्यायालय को चुनौती दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रकरण में उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 05–10–2001 अंतिम है। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 05–10–01 को

पुनर्विलोकन में लेने हेतु आम जनता की ओर से श्री सुरेश प्रसाद तिवारी ने दिनांक 01–3–2011 को अर्थात 9 वर्ष से अधिक विलम्ब से पुनर्विलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त के समक्ष जिस अपील प्रकरण कमांक 514/अपील/87–88 में पारित आदेश दिनांक 05–10–2001 का पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है उसमें आवेदक पक्षकर नहीं था। अपर आयुक्त द्वारा इस महत्वूपर्ण आधार पर गौर नहीं किया कि आवेदक अपील प्रकरण में पक्षकार नहीं था तब उसे पुनर्विलोकन करने की अधिकारिता नहीं थी। फिर भी अपर आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन अनुमति हेतु प्रकरण दिनांक 24–5–2011 को राजस्व मण्डल को भेजने में त्रुटि की है। यदि आवेदक अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 29–3–1988 से व्यथित था तब उसे उसे विधिवत चुनौती देनी चाहिए थी अथवा अपर आयुक्त के समक्ष अपील में पक्षकार बनकर भाग लेना चाहिए था। आवेदक द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही अपर आयुक्त के समक्ष न की जाकर पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया है। जो व्यक्ति मूल प्रकरण में पक्षकार न हो उसे पुनर्विलोकन में चुनौती की अधिकारिता नहीं होती। आम जनता की ओर से कोई एक व्यक्ति पक्षकार नहीं बन सकता क्योंकि आम जनता की ओर प्रतिनिधित्व करने दायित्व शासन का होता है। अपर आयुक्त द्वारा किसी ऐसे पक्षकार के आवेदन पर जो मूल अपील प्रकरण में पक्षकार न हो एवं 9 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन प्रचलन योग्य नहीं था। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन पंजीबद्ध कर प्रकरण राजस्व मण्डल के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु भेजने संबंधी कार्यवाही दिनांक 24–5–2011 को उचित नहीं कहा जा सकता।

जहां तक राजस्व मण्डल के समक्ष पुनर्विलोकन अनुमति दिये जाने का प्रश्न है मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण में मूल पक्षकारों (आवेदकों एवं अनावेदकों) को सुनवाई का अवसर दिये बिना अनुमति प्रदान करने में त्रुटि की है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। इस संबंध में 2010(2) एमपीएचटी 115(डीबी) बिहारीलाल विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि, नंनलाल विरूद्ध म0प्र0 शासन तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक उद्धरण प्रतिपादित किये गये हैं–

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959, धारा 51– पुनर्विलोकन के लिए मंजूरी– मंजूरी यंत्रवत नहीं दी जानी चाहिए– मंजूरी के आदेश से यह प्रकट होना चाहिए कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने मस्तिष्क को प्रयोज्य किया था– इसके अलावा मंजूरी दूसरे पक्ष को बिना सुनवाई का अवसर दिये, नहीं दी जा सकती है– वर्तमान प्रकरण में कमिश्नर द्वारा प्रदान की गई मंजूरी प्रकट रूप से अवैध थी''

स्पष्ट है कि पूर्व अधिकारी द्वारा बिना पक्षकारों को सुनवाई किये एवं विधिक बिन्दुओं पर गौर किये बगैर जो पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई थी वह उचित नहीं थी। अतः पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2011 निरस्त किया जाता है। इस प्रकरण में आम जनता की ओर आवेदक सुरेश प्रसाद तिवरी पक्षकार बनने की पत्रत्रा नहीं रखता है। मूल प्रकरण में बिना पक्षकार होते हुये 9 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत पुनर्विलोकन के लिए अनुमति प्रदान करना उचित नहीं पाता हूँ। इस न्यायालय में पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत विविध प्रकरण में जो आधार लेख किये हैं उन पर पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की जाना उचित नहीं है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

5/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत विविध आवेदन अमान्य किया जाता है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 13/पुनर्विलोकन/2010–11 में की जा रही कार्यवाही समाप्त की जाती है।

05/02/2019

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर